HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 683/2026

Ramesh Son Of Late Shri Samandar Singh

----Plaintiff/Appellant

Versus

Raju Alias Rajjo and Ors.

----Defendants-Respondent

For Appellant(s) : Mr. Deepak Sharma, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/05/2026

अपीलार्थी/वादी के स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2127/2026 को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी/वादी ने वादपत्र में अंकित चतुर्थ सीमाओं की सम्पत्ति के संबंध में उक्त सम्पत्ति अविभाजित होने के संबंध में वादपत्र के पैरा संख्या 1 में उल्लेख किया है। जवाबदावे में वादग्रस्त सम्पत्ति को वादी/प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग में आना बताया है। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 भरतपुर(राज.) ने पारित निर्णय दिनांक 07.04.2026 के पैरा संख्या 16 में उल्लेखित किया है ''प्रतिवादीगण की ओर से वादी व प्रतिवादीगण के एक ही पूर्वज होना बताया गया है तथा विवादित जायदाद उनकी स्वयं की व उनके पूर्वजों द्वारा क्रयशुदा होनी बताई गई है, किन्तु उनकी ओर से भी विवादित जायदाद के संबंध में स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।''

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त जायदाद वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज व उनके क्रयशुदा होना बताते हुये अपीलार्थी/वादी का वाद बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार व खारिज कर दिया गया। वाद के निस्तारण होने से पूर्व विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 भरतपुर द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 17/2024 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151

सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निस्तारण तक कमीश्नर रिपोर्ट में अंकित अनुसार मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया गया था, ऐसी स्थिति में यदि मौके की यथास्थिति नहीं रखी जाती है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न हो सकती है और वाद की बहुलता बढ़ने की संभावना है।

अपीलार्थी/वादी के तर्कों, विद्वान विचारण द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व वाद के निर्णय से पूर्व स्थाई निषेधाज्ञा में पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए तथा संपूर्ण परिस्थितियों और तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान आगामी तारीख तक कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित मौके के आधार पर यथास्थिति बनाए रखें।

प्रत्यर्थी के उपस्थित आने पर दोनों पक्षो को सुनकर नये सिरे से स्थगन पर आदेश पारित किया जावेगा।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं, अतः प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 को तामील से छूट प्रदान की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी के निवेदन व जोखिम पर प्रत्यर्थी संख्या 8 से 13 को तामील से छूट प्रदान की जाती है तथा कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA /60